कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

(कार्यालय ज्ञाप)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कमेटी ऑफ एडमिशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 18/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि बढ़ित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1203-IMRC COLLEGE, VILLAGE BHANA, BHANA SADARPUR, GHAZIABAD-245205

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	एन0आई0सी0टी0ई/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन0आई0सी0टी0ई/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-32000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शीघ्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पाँच की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (2000) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एन0आई0सी0टी0ई/पी0सी0आई0 से अग्रगामी क्रम हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

PRINCIPAL
IMRC COLLEGE
Bhana Gyanakhand Phase-I

-6 इन फर्जी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि सी.बी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ दिशानिर्देश इन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीजीआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, लाइब्रेरी, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था को विकास/परिवहन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

✓ प्रवेश के समय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य आवश्यकता एआईसीटीई/पीजीआईए/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्रारिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3530-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक /MRC COLLEGE, VILLAGE BHAINA, BHAINA SADARPUR, GHAZIABAD- 245205

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

PRINCIPAL
MRC COLLEGE
Bhaina Sadarpur (Hapur)

कार्यालय,

अधिष्ठाता, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविधि/परीक्षा सम्बद्धता/2023/12060001 लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा फार्मेसी तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 28-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1213:MMC COLLEGE

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परीक्षा द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 241/18-3(सम्बद्धता)/2022 टीसी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की जीत के विरुद्ध माननीय न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 9027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता दिया जाता है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, शैक्षिक उपकरण, आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, विनियमावली 1992, विनियमावली-2006, फीस विनियमावली-2016 तथा शासन/परिषद के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश छात्रों से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की रसीदों पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में लंबित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवैधित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ शासन की समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

अधिष्ठाता

✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्तियों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं नियमावली, प्रशिक्षित शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्रशिक्षित शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

✓ यदि संस्थान का अर्हित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशिक्षित शिक्षा निदेशालय एवं प्रशिक्षित शिक्षा शिक्षण उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संस्था अदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिकूलें संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए अनारक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अर्हित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा इन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत फीसेज, आरक्षण नियमों का अनुपालन अवश्य करना होगा।

✓ संस्था को अपने रेकार्ड पर उत्तर प्रशिक्षित शिक्षा के मूलभूत पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की दीर्घकालिक पूंजी भूमि, भवन, छात्र संख्या, उपकरण, छात्रा लिया जाने वाला शुल्क, हस्तगत शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था को शिक्षण प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में उपलब्ध/अपेक्षित व्यवस्थाओं की जांच करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित शिक्षा (फीसेज और उपस्थितियां, शैक्षिकों का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2006 के प्रविधानानुसार परिषद की जांच पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेंगी।

✓ संस्था के औचक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एन.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./एन.सी.ए.टी.ई./परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव

पृ0सं0- प्रशिक्षणपरिषद सम्बद्धता/2023/12090003-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक,MMC COLLEGE

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव

MMC COLLEGE